बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (मुजफ्फरपुर) 02–99/2025–.......671....... (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..........

समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–420, दिनांक–21.07.2025 द्वारा श्री बसंत कुमार राय, राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय–कांटी, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया है जिसमें श्री राय के विरूद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संचालित योजनाओं जैसे–ऑनलाईन दाखिल–खारिज, परिमार्जन प्लस, ऑनलाईन भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र; अभियान बसेरा–2 एवं आधार सीडिंग में असंतोषजनक प्रदर्शन, समय–सीमा से पार 603 दाखिल–खारिज आवेदनों पर 100रू0 प्रति आवेदन की दर से कुल 60,300/–रूपया लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत अधिरोपित दंड जैसे गंभीर आरोप प्रतिवेदित किये गये है।

2. प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभाग स्तर पर आरोप पत्र पुनर्गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–1761(15), दिनांक–22.09.2025 द्वारा श्री राय से लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री राय द्वारा दिनांक–13.11.2025 से स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त आरोपी पदाधिकारी श्री राय को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा ''निन्दन'' का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री बसंत कुमार राय, राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय–कांटी, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(I) के तहत **''निन्दन'' (आरोप वर्ष–2025)** का दंड अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(अरविन्द कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

ज्ञापांक–15/आरोप (मुजफ्फरपुर) 02–99/2025–....................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–....................

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर को उनके पत्रांक–420, दिनांक–21.07.2025 के प्रसंग में/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर/श्री बसंत कुमार राय, राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय–कांटी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(अरविन्द कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

D:\2026_jiten\Dand (Order)_26 Sankalp\Basant kr rai (RO_Kanti_Muzz)_Nindan.doc

ज्ञापांक–**15/आरोप (मुजफ्फरपुर) 02–99/2025**–......671......(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–25/5/26.........

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल में)**/विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्री बसंत कुमार राय** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

25/5/26

(अरविन्द कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

D:\2026_jiten\Dand (Order)_26 Sankalp\Basant kr rai (RO_Kanti_Muzz)_Nindan.doc